चदत सिंह

बनाम

बहादुर राम व अन्य

अगस्त 3, 2004

{अरिजित प्रसाद व सी.के. ठक्कर, जेजे.}

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 100- द्वितीय अपील उच्च न्यायालय द्वारा विधि का प्रश्न अभिनिर्धारित किये बिना प्रकरण का निस्तारण किया गया- अभिनिर्धारित- उच्च न्यायायल को विधि का सारवान प्रश्न बनाना चाहिये तथा अपील की सुनवाई उक्त बनाये गये प्रश्न पर की जानी चाहिये- इसके अभाव में निर्णय पोषणीय नहीं तथा प्रस्तुत प्रकरण पुनः निर्णित किये जाने हेतु प्रेषित किया जाता है।

उक्त अपील में विचारणीय बिन्दु था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा विधि का सारवान प्रश्न विरचित किये बिना जो विधि अनुसार आवश्यक है द्वितीय अपील का निस्तारण किया जाना उचित था।

अपील का निपटारा करते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित:

1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय ज्ञापन में धारा 100 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत

अंतर्वलित विधि के सारवान प्रश्न व विधि का प्रश्न का प्रमिततः कथन किया जाएगा। जहां कि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि प्रकरण में कोई विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उस प्रश्न को उपधारा (4) के तहत तैयार करेगा और द्वितीय अपील की सुनवाई धारा 100 की उपधारा (5) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार बनाए गये उक्त प्रश्न पर की जाएगी। {300-ए-बी}

प्रस्तुत प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में यह दर्शित नहीं किया गया है कि विधि का कोई सारवान प्रश्न बनाया गया हो या द्वितीय अपील की सुनवाई बनाये गये उक्त प्रश्न, यदि कोई है, पर की गयी थी। निर्णय बने रहने योग्य नहीं- प्रकरण कानून के अनुसार निपटारे के लिये उच्च न्यायालय को पुनः निर्णित किये जाने हेतु प्रेषित किया जाता है। {300-एच, 301-ए, 302-बी}

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल {2000} 1 एससीसी 434, रूप सिंह बनाम राम सिंह, {2000} 3 एससीसी 708 एवं कन्हैयालाल व अन्य बनाम अनूप कुमार व अन्य, जेटी {2002} 10 एससी 98, संदर्भित:

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4903-4905/ 2004

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 29.04.2002 सी.एम. क्रमांक 29-सी/2002, सी.एम. सं. 2070-सी/2002, 1995 आर.एस.ए. संख्या 594 आदेश दिनांक 10.08.2001 पारित किया गया।

महाबीर सिंह, राकेश दहिया, सुश्री मधुष्मिता बोरा और निखिल जैन, -अपीलार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अरिजित पसायत, जे.: स्वीकृत किया गया।

मात्र उस बिन्दु पर जहां नोटिस जारी किया गया था धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय द्वारा विधि के सारवान प्रश्न को बनाये बिना, द्वितीय अपील के निपटारे की वांछनीयता से संबंधित था यह आवश्यक नहीं की तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से विचारण किया जावे। द्वितीय अपील और दो अन्य विविध याचिकाऐं का निस्तारण एक निर्णय द्वारा किया गया था, जो प्रस्तुत अपील में संलग्न है।

प्रत्यार्थी बहादुर राम द्वारा 9 प्रतिवादीगण के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया, हालांकि उक्त वाद का निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुरूक्षेत्र द्वारा पलट दिया गया। बहादुर राम द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश कुरूक्षेत्र के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील संख्या 594/1995 प्रस्तुत की गई। आक्षेपित निर्णय के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को पुर्नस्थापित कर दिया गया जो कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पलट दिया गया था।

जैसा कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर आग्रह किया गया था प्रस्तुत अपील के सीमित दायरे को दृष्टिगत रखते हुए व जारी किये गये नोटिस को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि सभी पहलुओं पर देखा जाऐ। जहां प्रत्यार्थीगण की ओर से किसी के द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी हो।

श्री महावीर सिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील के निस्तारण के समय धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत सारवान प्रश्न या विधि के प्रश्न तैयार किये बिना अपील का निपटारा किया जाना उचित नहीं था।

धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अपीलीय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से धारा 100 की उपधारा (3) के तहत आवश्यक सारवान प्रश्न व विधि के प्रश्न जो अपील में अंतर्विहित हो का कथन किया जाना होगा। जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि किसी भी मामले में कोई भी कानून का महत्वपूर्ण पक्ष है, वह उस प्रश्न को धारा (4) के तहत तैयार

करेगा तथा द्वितीय अपील इस प्रकार बनाये गये प्रश्न पर उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत सुनी जायेगी।

संहिता की धारा 100 द्वितीय अपील से संबंधित है, प्रावधान निम्न प्रकार है:

> ‘‘धारा 100- (1) उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है।
>
> (2) एकपक्षीय पारित अपीलीय डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी।
>
> (3) इस धारा के अधीन अपील मंे अन्तर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमिततः कथन किया जाएगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अन्तर्वलित है तो वह प्रश्न को बनाएगा।

(5) अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है:

परन्तु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह, विधि के किसी अन्य ऐसे सारवान प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि उस मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित है, न्यायालय के कारणों को लेखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या उसे न्यून करती है।''

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह दर्शित नहीं होता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या कि दूसरी अपील इस प्रश्न पर सुनी गई, यदि कोई हो, तो तैयार की गई, ऐसा होने पर निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, (2000) 1 एससीसी 434 पैरा 10 इस प्रकार कहा है:

> "10. अब धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक है कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया जावे और इसके बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को उलटने की अनुमति नहीं होगी"

एक बार फिर रूप सिंह बनाम राम सिंह (2000) 3 एससीसी 708 में इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ी अपीलों तक ही सीमित है, उक्त निर्णय के पैरा सं. 7:

> "7. यह दोहराया जाना चाहिए कि धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस द्वितीय अपील पर विचारण करने के तक ही सीमित है, जिसमें विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह उच्च न्यायालय को धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय तथ्य के शुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, प्रकरण के निस्तारण के समय

उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को स्वीकार किये जाने के समय बनाये गये विधि के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आक्षेपित फैसले में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की विवेचना किये जाने के पश्चात् विनिश्चित किया कि प्रतिवादी ने बटाई के रूप में परिसर के कब्जे में प्रवेश किया जो कि किरायेदार के रूप में और उसका कब्जा अनुमेय था और यह कब प्रतिकूल और विपक्षी हो गया, यह अभिमत निचली दो न्यायालयों द्वारा लिया गया, जो कि साक्ष्य व तथ्यों के पूर्ण विवेचन पर आधारित था। तथा उन निष्कर्षों में कोई विकृति अवैधता या अनियमितता नहीं थी। यदि प्रतिवादी को पट्टेदार के रूप में या बटाई के करार के तहत विवादित भूमि का कब्जा मिला था तब अनुज्ञ कब्जे के लिए उसे ठोस व आश्वत साक्ष्य द्वारा साबित करना होगा कि प्रतिकूल कब्जा सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के प्रतिकूल दिखने की साक्ष्य हो। मात्र लंबे समय तक कब्जा रखने से अनुमेय कब्जा प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं हो जाता (ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविन्द कुमार, {1994} 6 एससीसी 591) इसलिए उच्च न्यायालय को नीचे की दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था

कन्हैयालाल और अन्य बनाम अनूपकुमार व अन्य, जेटी (2002) 10 एससी 98 में स्थिति दोहराई गई है।

परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। हम प्रकरण को विधि अनुसार निपटारे के लिए उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाता हैं। लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ममता चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।